व्यवस्था परिवर्तन यात्रा

दो माह की व्यवस्था परिवर्तन यात्रा पूरी करके मैं सकुशल लौट आया हूँ। वैसे तो यात्रा अठाइस अक्टूबर को विजय कौशल जी महाराज के वृंदावन स्थित आश्रम में व्याख्यान से प्रारंभ होकर इकतीस दिसम्बर को दिल्ली ए टू जेड कार्यालय से समाप्त हुई किन्तु विधिवत यात्रा आठ नवम्बर को नोयडासे शुरू होकर पचीस दिसम्बर रामानुजगंज तक ही मानी गई। यह यात्रा करीब दो माह में पूरी हुई जिसमें अन्ठावन स्थानों पर बैठकें हुईं। बैठकों का अलग अलग आकलन किया गया। व्यवस्था, उपस्थिति, चर्चा का स्तर, प्रश्नोत्तर का स्तर आदि को मिलाकर आकलन किया गया जिसमें सबसे अच्छा स्तर हरियाणा के सीवन का था जिसे दस के दस अंक दिये गये। उसके बाद दस में नौ अंक वाले स्थानों में नोयडा, गाजियावाद के पास शाहपुर फगौता, आठ अंक वाले स्थानों मे मेरठ के पास दौराला, बिजनौर, सहारनपुर के पास अम्बौली, हरियाणा का कैथल, जयपुर, धनबाद के पास कतरास, भानुप्रतापपुर, उज्जैन, छतरपुर। सात अंक में राजसमन्द, बुलन्दशहर का बनबोई, फैजावाद का रूदौली, बलिया का बिल्थरारोड, दुर्ग, इन्दौर, रीवां। छः अंक में हरिद्वार, चितौरगढ, भीलवाड़ा, बरेली, गोपालगंज के पास भोरे, मउ, रायपुर, उज्जैन के पास कडादिया, सरगुजा में सीतापुर। पांच अंक में गाजियावाद, पुरैनी बाजार, नजीबावाद, मुजफरनगर, भोपाल के पास बैरसिया, बदायूं का धनारी, बाराबंकी, गाजीपुर, चोपन, बहजोई। चार अंक में बदायूं का बबराला, पंजाब में शेरपुर, बरेली के पास खजूरियाघाट, काशीराम नगर का सहावर, झारखण्ड में डाल्टनगंज, सागर, अनूपपुर। तीन अंक में देहरादून, जींद खगडिया, महाराष्ट मं गोन्दिया। दो अंक में बदायूं जिले के सहसवान, खितौरा तथा शहरबरौलिया वाराणसी तथा सबसे कम एक
अंक अम्बाला, हिमाचल के डहर, हरियाणा के भिवानी तथा बिहार के राजगीर के माने गये। कुछ स्थानों की मीटिंग आयोजकों की कठिनाइयों को देखते
हुए रद्द हुई जिनमें रीवां के पास मनगवां, सीधी, बुढ़ार, जशपुर, राबर्टगंज, देवरिया, बोकारो, आरा शामिल हैं। हम भोपाल के पास बैरसिया में सड़क खराब होने से आधा घंटा विलम्ब से पहुंच सके। अन्य स्थानों पर हम कार्यकम के निश्चित समय में पहुंचने में सफल रहे। धनबाद में हम करीब पंद्रह मिनट लेट हुए जो बड़ी बात नहीं मानी गई।

नोयडा मं कई संविधान विद भी शामिल थे। संविधान की नई परिभाषा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। नोयडा में शामिल कुछ उल्लेखनीय विद्वान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का फर्क नहीं बता पाये। पूरी यात्रा में यह स्पष्ट दिखा कि ग्राम सभा की जानकारी छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में तो है, राजस्थान हरियाणा में भी आंशिक है किन्तु उत्तरप्रदेश बिहार में बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगा जैसे ग्राम सभा के अस्तित्व को ही दबा कर रखा जा रहा है।

यात्रा में कुछ उल्लेखनीय घटनाऐं भी हुईं। गाजियावाद में एक श्रोता इस बात पर व्यापक विरोध करते रहे कि मै समाजशास्त्र पर अनुसंधान किया हूँ। उन्हें आपत्ति थी कि जब तक मुझे किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय की डिग्री नहीं मिलती तब तक अनुसंधान कहना समाज के साथ धोखा है। मेरा कथन था कि मैंने समाजशास्त्र पर अनुसंधान किया है तो उसे समाज ही प्रमाणित करेगा न कि कोई अन्य डिग्रीधारी। मैंने उन्हें मौलिक चिन्तक की परिभाषा बताई कि जो व्यक्ति विश्व में पचलित सामाजिक परिभाषाओं में से किन्हीं दो या दो से अधिक परिभाषाओं को असत्य प्रमाणित कर दे तथा उसके स्थान पर सत्य प्रमाणित कर दे वह मौलिक चिन्तक कहा जा सकता है। मैंने तो ऐसी करीब सौ परिभाषाओं को सिद्ध किया है जिनमें बीस पचीस तो विश्व स्तरीय हैं। अतः इन परिभाषाओं की सामाजिक मान्यता चाहिये। उक्त सज्जन तो इतने अधिक बौखलाहट में थे कि बड़ी मुश्किल से उन्हें कई लोगों ने रोका तब वे चुप हुए। इसी तरह मैं फैजावाद जिले के रूदौली गया तो वहॉ श्रोताओं में भाजपा संघ परिवार के भी अनेक लोग थे तथा मुस्लिम विद्वान भी तथा साम्यवादी भी। सभा में बैठे मुस्लिम तथा साम्यवादी श्रोताओं ने मुझसे अनेक प्रश्न किये जिनकी भाषा शालीन थी किन्तु भाजपा वालों ने मुझसे प्रश्न न करके सिर्फ नाराजगी प्रकट की। उन्हें इस बात का दुख था कि रूदौली में हिन्दू मुसलमान आबादी का अनुपात समान होते हुए भी मैंन कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे हिन्दुओं का मनोबल बढ़े। मैंने भाजपा के पक्ष में भी कुछ नहीं कहा। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उनकी नाराजगी स्पष्ट दिखती थी। मीटिंग के बाद मुझे पता चला कि उनमें से कुछ ने तो ज्ञानतत्व का बहिष्कार करने की भी बात कही है। मैं मानता हूँ कि रूदौली की आबादी का समीकरण जटिल है किन्तु मेरा उससे क्या मतलब था। उनके ऐसे व्यवहार से तो मेरे मन में ऐसे तत्वों की कट्टरता के विरूद्ध धारणा मजबूत ही होती है।

काशीराम नगर के आयोजक इस्लाम अहमद फारूकी जी समाजवादी विचारों क हैं। उन्होंने अपने शहर में हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये गंभीर प्रयत्न किये हैं। उन्होंने हमारे कार्यकम का पारंभ कुरान की कुछ आयते पढ़कर किया। मुझे अच्छा लगा। वहॉ श्रोता मुसलमान ज्यादा थे। मैंने वहॉ इस्लाम की अधिक आलोचना की किन्तु उन्होंने कहीं बुरा नहों माना बल्कि उन सबने बहुत तर्क पूर्ण बातें कीं। मैंने अपने भाषण में दस पांच स्थानों पर राजनैतिक प्रसंग आने पर मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा तथा राहुल गांधी का विरोध किया। मैंने अनुभव किया कि कांग्रेस समर्थकों न तो मेरी समीक्षा चुपचाप सुन ली किन्तु भाजपा वालों को मनमोहन सिंह की प्रशंसा पर बुरा लगता था। उनके पास प्रश्न करने के लिये तो कुछ था नहीं किन्तु नाराजगी व्यक्त करने में बहुत आगे रहते थे। मेरी सलाह है कि भाजपा वालों को अपनी इस आदत से बचना चाहिये। रीवां में कुछ रामदेव जी के भक्तों ने आंदालन रामदेव विषय पर कुछ प्रश्न पूछे। मैंने उन्हें रामदेव जी के आंदोलन की कमियां और निरर्थकता बताई तो वे संतुष्ट हुए।

आर्थिक सहायता के रूप में मुझे गाजियावाद के अजय भाई ने इक्कीस सौ रूपये दिये जो मैंने सीधे ही महासचिव अभ्युदय द्विवेदी जी को दिलवा दिये। एक हजार रूपया खगड़िया वाले जालान जी ने तथा एक हजार राकेश गर्ग जी ने भी दिये। ज्ञानतत्व के पाठकों ने तो बड़ी मात्रा में अपना शुल्क दिया। अकेले उज्जैन शहर से ही ज्ञानतत्व के शुल्क के रूप में करीब तीन हजार रूपये प्राप्त हुए। अन्य स्थानों पर भी पाठकों न शुल्क के पैसे दिये। इस प्रकार पूरी यात्रा में हमारा कोई विशेष खर्च नहीं हुआ। राजगीर को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर तो हमें भोजन या निवास के लिये भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। राजगीर के आयोजक भी बिल्कुल नये और अपरिचित थे इसलिये ऐसा हुआ। अनेक स्थानों पर तो हमारे निवास और भोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। यहॉ तक कि कई जगह तो हम लम्बी दूरी तय करके पहुँचते थे तो व्यवस्था देखकर हमारी आधी थकावट तो वैसे ही दूर हो जाती थी।

हम यात्रा के कम में बबराला पहुँचे। बबराला में आयाजन स्थल से थोड़ी सी दूर चौराहे पर हमने होटल मं नास्ता किया और भोजन किया। मुझे लगा कि वहॉ का भोजन और नास्ता सबसे सस्ता और स्वादिष्ट था।इच्छा होती है कि एक बार और उधर जाउंगा तो बबराला में रूककर उस दुकान में नास्ता और भोजन करूंगा।

पूरी यात्रा में एक बार द्विवेदी जो को कुछ बुखार आया अन्यथा हम सब पूरी तरह स्वस्थ रहे। हम लोगों ने पंद्रह हजार कि.

मी. की यात्रा की। हम उत्तरांचल, हिमांचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, दिल्ली की यात्रा करके लौटे। महाराष्ट में हम सिर्फ गोन्दिया ही कर पाये।

इस यात्रा में मैंने अपने उद्‌बाधन अथवा चर्चा के माध्यम से चार बातें बताने की कोशिश की ;1 व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ;2सामाजिक समस्याओं का समाधान ;3 राजनैतिक समस्याओं का समाधान ;4 आर्थिक समस्याओं का समाधान। व्यक्तिगत समस्याएँ तब बढ़ती हैं जब समाज में धूर्त लोग मजबूत होकर शराफत को शोषण करने लगते हैं। ऐसे समय को आपात्काल माना जाता है। ऐसे आपात्काल में चरित्र निर्माण के प्रयास या तो निरर्थक होते हैं या घातक। ऐसे समय में समाज में शराफत विस्तार को रोककर समझदारी विस्तार का प्रयत्न करना चाहिये। इसका एकमात्र मार्ग है मानसिक व्यायाम। भिन्न विचारों के लागों के साथ बैठकर विचार मंथन करना चाहिये। ज्ञानतत्व लगातार पढ़ते रहिय। शनिवार शाम साढ़े आठ बजे ए टू जेड चैनल पर मेरा मानसिक व्यायाम कार्यकम सुनिये। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप ए टू जेड चैनल पर प्रति सप्ताह मेरा कार्यकम देखते रहेंगे तथा ज्ञानतत्व पढ़ते रहेंगे तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप जीवन में आसानी से ठगे नहीं जायेंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा तथा निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। कुल मिलाकर मैंने पहला संदेश यह दिया कि मानसिक व्यायाम सभी व्यक्तिगत समस्याओं का महत्वपूर्ण समाधान है जो ज्ञान कान्ति अभियान से जुड़कर किया जा सकता है। सामाजिक समस्याएँ तब बढ़ती हैं जब लोक कमजोर तथा तंत्र मजबूत हो। इसके लिये दो दिशाओं में सकियता आवश्यक है (1) लोक सशक्तिकरण (2) तंत्र कमजोरीकरण। लाक सशक्तिकरण के लिये ग्राम सभा सशक्तिकरण सबसे सहज सरल उपाय है। यह सामाजिक समस्याओं के समाधान की रामबाण औषधि है। रामानुजगंज के एक सौ तीस गांवों में इसका प्रयोग हो रहा है। आप इस प्रयोग को देख समझ सकते हैं। इस प्रयोग का नेतृत्व अविनाश भाई तथा राकेश शुक्ला जी कर रहे हैं। वैसे सितम्बर माह में व्यवस्था परिवर्तन सम्मेलन के समय भी आप रामानुजगंज आकर यह प्रयोग देख सकते हैं। तीसरा कार्य है तंत्र कमजोरोकरण। यह राजनैतिक समस्याओं का समाधान है। तंत्र के पास प्रशासनिक शक्ति का इक्ट्ठा होना एक बड़ी समस्या है। यही भ्रष्टाचार की जड़ है। तंत्र के पास शक्ति इक्ट्ठी करने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद समाज क अधिकतम अधिकार अपने पास समेट लेती है तथा उसे अन्य इकाइयों को देती है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है "लोक संसद"। लोक स्वराज्य मंच इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इसके राष्टीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी आर्य, उपाध्यक्ष छवील सिंह जी सिसोदिया तथा महासचिव नरेन्द्र सिंह जी हैं। आप लोक स्वराज्य मंच से जुड़कर तंत्र कमजोरी करण के कार्य में सहयोग कर सकते हैं। चौथी समस्या है आर्थिक। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिये दो कार्य करने होंगे ;1 स्वतंत्र अर्थपालिका की मांग। इसके लिये आचार्य पंकज जी आदि लगातार सकिय हैं। अर्थ व्यवस्था को राजनैतिक व्यवस्था के चंगुल में मुक्त होना चाहिये। जिस राजनैतिक व्यवस्था के पास सेना और पुलिस जैसी व्यापक शक्ति हा उसी के पास अर्थ व्यवस्था का होना घातक होता है। अतः स्वतंत्र अर्थपालिका की मांग उठाई जा रही है। दूसरा सुझाव है कि कृत्रिम उजा की इतनी ज्यादा मूल्य वृद्धि कर दी जाये कि प्रत्येक व्यक्ति को दो हजार रूपया मासिक का जीवन भत्ता देना संभव हो सके। मेरे विचार से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का एक ही समाधान है कि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि करके जीवन भत्ता दिया जाये तथा दो प्रतिशत वार्षिक का सम्पति कर लगाकर सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिये जायें।

इस तरह पूरी यात्रा में हमन चार प्रकार की समस्याओं के चार प्रकार के समाधान संदेश के रूप में दिये हैं। इन चार प्रकार के समाधानों के लिये एक संयुक्त अभियान का नाम है व्यवस्था परिवर्तन अभियान। इसका केन्द्रीय कार्यालय अम्बिकापुर में रखा गया है। चारों प्रकार के समाधानों का संचालन अम्बिकापुर से हो रहा है। इस अभियान के राष्टोय अध्यक्ष अशोक गदिया जी हैं। इसके खर्च के लिये हम तीन प्रकार का सदस्यता अभियान चलाते हैं (1) सहयोगी (2) संरक्षक (3) टस्टी। सहयोगी सदस्य वह होता है जो एक सौ रूपया वार्षिक अथवा पांच सौ रूपया आजीवन शुल्क के रूप में देता है। संरक्षक सदस्य वह होता है जो एक हजार रूपया वार्षिक देता है तथा टस्टी सदस्य वह होता है जो दस हजार रूपया वार्षिक देता है। इसी व्यवस्था से सारा खर्च चलता रहता है। कहीं भी किसी रूप में चंदा लेने या मांगने की परिपाटी नहीं है।

यात्रा में मैं तो पूरे दा माह रहा, हमारे सचिव श्री नरेन्द्र सिंह जी पचपन दिनों तक, महासचिव अभ्युदय द्विवेदी जी पचास दिन तक, तथा
ओम पाल सिंह जी पंद्रह दिन तक साथ रहे। अन्य कई साथी एक एक दो दो दिन साथ रहे। इस तरह हमारी दो माह की व्यवस्था परिवर्तन यात्रा पूरी हुई।

उत्तरार्ध

माननीय श्री बजरंग मुनि जी के यात्रा मे दिये गये भाषण का सारांश

द्वारा–अभ्युदय द्विवेदी

(बजरंग मुनि) यानी मै रहने वाला रामानुजगंज (छ.ग.) का हूँ। वही हमारा जन्म स्थान भी है। बचपन से ही चौदह वर्ष की उम्र में ही हमारे रामानुजगंज की जनता मुझे बालिग समझने लगी थी तथा जनता के अनुसार मैं भी बालिग महसूस करने लगा। जब मेरी उम्र 17 वर्ष की हुई तब रामानुजगंज की जनता ने मुझे वहां का नगर पालिक अध्यक्ष चुन दिया किन्तु वैधानिक तौर पर उम्र कम होने के कारण मै आठ वर्ष बाद सन 65 मे ही विधीवत अध्यक्ष बन पाया। ब्ण् डण्व् (चोफ मुनिस्पल आफीसर) मुझसे बोले कि अभी आप नाबालिग हैं अभी आप अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तब मैंने वहां पर बैठे सी. एम. ओ. साहब से पूछा कि मुझे बालिग कौन बनायेगा, तब सी. एम. ओ. साहब ने कहा कि आपको बालिग सरकार बनायेगी वो नियम कानून क मुताबिक जब आप 25 वर्ष के हो जायेंगे तभी आप अध्यक्ष बन सकेंगे। तब मुझे पता चला कि एक सरकार और है जो नियम कानून के साथ–साथ उम्र भी तय कर बालिग घोषित करती है। मैं तो केवल बस इतना ही जानता था कि रामानुजगंज की जनता ही रामानुजगंज की सरकार है अर्थात् देश की सम्पूर्ण जनता ही देश की सरकार है। तब से मैंने सोचना प्रारम्भ किया कि वास्तव में मैं 25 वर्ष की उम्र में सरकार बनने का प्रयास करूंगा। तथा जब मेरी उम्र 25 वर्ष की हो गयी तो रामानुजगंज की जनता ने पुनः नगरपालिका का अध्यक्ष चुन दिया। मुझे लगा कि अब मैं अपने रामानुजगंज की समस्या को दूर कर सकूंगा। जब मैं पुनः नगरपालिक कार्यालय गया और पद भार ग्रहण किया तब मैंने अपने द्वारा किये गये वादे के मुताबिक कार्य करने के लिए सभी नगरपालिक के अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक बुलवाई। तथा बैठक में सभी उपस्थित वार्ड सदस्य, अधिकारियों से कहा कि मैं यहां की जनता से वादा किया हूँ कि रामानुजगंज की सारी समस्या चोरी, डकैती, गुण्डा गर्दी, दादागिरी, लूट व बलात्कार जैसी समस्या मैं दूर कराउँगा । मुझे और आप सब को मिलकर यह समस्या दूर करना है। तब वहां पर उपस्थित हमारे सी. एम. ओ. साहब व अन्य

सभी कर्मचारियों ने कहा कि यह कार्य नगर पालिका का नहीं है। नगर पालिका का मुख्य कार्य तो सड़क, पानी, बिजली, साफ–सफाई है। अन्य कार्य जो आप चाहते हैं वह पुलिस का है वह पुलिस करेगी। मैंने पुनः कहा कि मैं इस समय रामानुजगंज नगर का नगरपिता हूँ। इस नगर की जनता ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं रामानुजगंज की मूल समस्या का समाधान कर सकूं। तब पुनः हमारे सी.एम.ओ. साहब ने कहा कि सर यह अधिकार आपको नहीं है, यह अधिकार तो सरकार को है वह जैसा चाहेगी वैसा ही करना पड़ेगा आप और हम सभी को। मैंने पुनः पूछा कि यह सरकार कहां पर बैठती है, तो सभी ने कहा कि सरकार उपर भोपाल मे बैठी है। मैंने एक वर्ष के कार्यकाल में ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रामानुजगंज की जनता से हाथ जोड़कर बोला कि मैं आप सबकी समस्या दूर करने के लिए अध्यक्ष बना था। वह हम नहीं दूर कर सके क्योंकि अभी इसके उपर एक सरकार बैठी हैं। जो वह चाहेगी वहीं होगा। मैंने सोचा कि अब मैं उपर की सरकार बनूगां तथा अपने नगर के लोगों स कहा कि आप मुझे सरकार बनाने में मदद करिए। मैं सरकार बनकर अपने नगर को समस्या दूर करूंगा। मै जय प्रकाश आन्दोलन में शामिल होकर 18 महीने के लिय आन्दोलन में जेल चला गया। 18 महीन के बाद जब मैं जेल से छूटा तो सन् 1977 में वास्तव में मैं सरकार बन गया। मोरार जी भाई देश के प्रधान मंत्री बने। हमारे प्रदेश के मख्य मंत्री माननीय श्री वीरेन्द कुमार सकलेचा जी बने तथा उन्होंने मुझे पूरो छूट दी कि आप जो प्रयोग करना चाहते वो करिये अब आपको पूर्ण स्वतंत्रता है और मुझे जिले का अध्यक्ष बना दिया गया । उस समय हमारे अनुसार में 8 विधायक थे । प्रदेश मे पुलिस मंत्रालय तथा केन्द्र मे श्रम मंत्रालय हमलोगो के पास था। क्योंकि मैंने तो संकल्प लिया था कि अपने शहर की मुझे चोरी, डकैती, दादागिरी, गुण्डा गर्दी, हत्या, बलात्कार व भ्रष्टाचार तथा श्रम, यानी मजदूर इन सभी समस्याओं को दूर करना है। वास्तव में मैं सरकार बनकर सत्ता के उच्च शिखर पर भी रहकर पूरी ईमानदारी से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन मैं समाज की एक भी समस्या सत्ता में रहकर दूर नहीं कर सकां। मैं सोचने लगा कि समाज की समस्या क्या है, क्यों और कैंसे दूर हो सकती है। तब मैंने आर्य समाज के नियम को ध्यान किया जिसमे स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि सत्य ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैंने राजनीति से 25 दिसम्बर 1984 में स्तीफा दे दिया। मैं ने राजनीति से समाज की समस्या दूर करने के प्रयास को असफल मान लिया। और वहां से वापस आकर जंगल में एक कुटिया बना कर समाज की समस्या के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा कि समाज में समस्या नहीं है समाज में राजनीति के माध्यम से राजनेता पूरी ईमानदारी से समाज को तोड़ने के लिए 8 आधारों पर प्रयत्न करते हैं। समाज को कभी भी एक जुट नहीं होन देना चाहते है। समाज को हमेशा तोड़कर रखना चाहते है। सभी राजनेता पूरी ईमानदारो से समाज को धोखा देने के लिए 10 आधारों पर नाटक करते हैं। यह राजनीति में सिखाया जाता है मैंने भी पूरी ईमानदारी से इन 10 दसो नाटक समाज को ताड़ने और धोखा देने के लिए सीखा था। राजनीति के सभी नेता पूरी ईमानदारी से समाज को धोखा देने के लिए वर्तमान समय मे भी ये 10 नाटक करते हैं। ये लोग मुझे राजनीति का विभीषण मानते हैं। वास्तव में मैं राजनीति का विभोषण हूँ। क्योंकि राजनीति में रह कर मैंने पूर्ण रूप से सीखा है कि रावण के नाभि में अमृत है। जब तक रावण के नाभि में अमृत रहेगा रावण नहीं मरेगा। मैं राजनीति में रह कर राजनीति को कॉफी समझा और किया भी हूँ कि राजनीति की नाभि में कहा अमृत है। मैं इसका भी अध्ययन किया हं तब मैं आज राम रूपी जनता को यह बताने के लायक सक्षम मानता हूँ। यदि मैं राजनीति रूपी लंका में ना रहता तो यह नहीं बता पाता। मैं आज यह दावे से कह सकता हूँ कि राजनेता इसी से घबड़ाये हुए हैं, कि राजनीति का विभीषण वर्तमान समय में समाज रूपी जनता के साथ चला गया है। इन्हीं सारी समस्याओं को राजनीति में जब देखा और समझा तो मुझे लगा कि मैंन अपने पिता जी को जो वचन दिया था कि जैसा समाज आप छोड़ कर जा रहे हैं वैसा ही समाज रहेगा। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे मरने के बाद जब मैं अपने पिता जी की आत्मा से मुलाकात होंगी तो जब पिता जी पूछेंगे कि बेटा मैंने जैसा समाज छोड़ा था तो वैसा ही है कि कुछ बदला है। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि पिता जी राजनीति में रहकर मैंने भौतिक उन्नति तो कॉफी कर ली, सुख सुविधा के साधन कॉफी पैदा हो गये हैं। बड़े–बड़े भवन व वैज्ञानिक भी पैदा हो गये हैं। किन्तु समाज जो है वह पिछड़ गया है। यह जवाब मैं कैसे दे पाउंगा। तब मुझे लगा राजनीति में रहकर यह संभव नही है। और राजनीति से वापस आकर सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करने लगा कि कम से कम मरने बाद जब पिता जी से मिलू तो इतना तो बता सकूँ कि पिता जी आप जैसा समाज छोड़ आये थे वैसा बनाने का मं पूरा प्रयत्न किया हूँ। तब मैं राजनीति से वापस आकर वही रामानुजगंज के जंगल में पहाड़ की कुटिया में 15 वर्षो तक रह कर समाज की समस्याओं क बारे में रिसर्च करने लगा। तथा शोध क्या किया । लोगों ने मुझे बताया कि यदि चरित्र सधर जाये और चरित्रवान लोग सत्ता पर बैठ जाये तो समस्यायें सुधर सकती हैं और आज भी सभी लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए, अन्ना जी भी यही कहते हैं कि अच्छे लोग चुन कर जायेंगे तो सब सुधर जायेगा। तथा उस समय मुझे भी लगा कि अच्छे लोग चुन कर जायेंगे तो समस्या हल हो सकती है मैंने अपने आश्रम पर छोटे–छोट चार छः लड़कों को रखकर उनका चरित्र सुधारने का प्रयास किया। उनको वही पर रखकर खाना, पीना, रहने व शिक्षा सभी की व्यवस्था कर उनका चरित्र निर्माण किया। और वो जब बड़े–बड़े हुए तो उन्हें किसी को विधायक का चुनाव लड़ा कर विधायक बनवा दिया, सांसद बन गए कोई नगर पालिक अध्यक्ष बन गये, तथा कुछ मंत्री भी बन गये और आज भी कई ऐसे पदो पर है। लेकिन चरित्र निर्माण के बाद भी सारे–सारे भ्रष्ट हैं। क्या कारण है कि जब सन् 1977 के बाद मेरे साथ जो भी राजनेता थे उनका चरित्र निर्माण नहीं किया गया तब भी वो ईमानदार थे। किन्तु जब मंने सभी को अपने आश्रम में रख कर चरित्र निर्माण किया और पढ़ाया लिखाया। मंत्री बनवाया इसके बाद भी सारे भ्रष्ट हो गये। तब मैंने पहला निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति दोषी नहीं होता सरकार दोषी नहीं है, हमारे यहां का पॉलिटिकल सिस्टम दोषी है। पॉलिटिकल व्यवस्था गड़बड़ा गई है जिससे वर्तमान व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में जो भी व्यक्ति जायेगा वह भ्रष्टाचार करेगा ही यदि वह नहीं करेगा तो पार्टी से या राजनीति से बाहर निकाल दिया जायेगा क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए उसे भ्रष्टाचार करना ही पड़ेगा। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें इस्तीफा देने को कह दूँ। हो सकता है वो इस्तीफा दे भी दे । फिर मैं सोचता हूँ कि यदि मैं इस्तीफा दिला भी दिया तो जा इनके स्थान पर दूसरा आयेगा वह इनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी यानी दो चार दस गुना ही आयेगा। इससे यह पाया कि जब तक हमारे यहां का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक व्यक्ति को सुधारने से कोई हल नहीं निकलेगा । इससे निष्कर्ष निकला कि व्यक्ति नही व्यवस्था बदलने की जरूरत ह। ''उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मै अपने निकट के रेलवे स्टेशन गढ़वा रोड़ स्टेशन पर टिकट कटाने क लिए लाइन में खड़ा हूँ किन्तु हमारी लाइन एक भी आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ लोग आगे धक्का देकर तथा कुछ लोग दस, पॉच रूपये दकर खिड़की से टिकट ला रहे थै। तब मेरे लड़के ने मुझसे कहा कि पिता जी यदि आप कहें तो मैं भी टिकट ले
आउँ। मैंने कहॉ कि जाओ ले आओं । वह बेटा दौड़ते हुए इधर–उधर से धक्का देकर टिकट ले आया। तब मैंने लड़के स पूछा कि बेटा तुमने ऐसा धक्का दिया कि वह लाइन में खड़ी बेचारी बुढ़िया गिर पड़ी और तुमने उसे उठायातक नहीं तब वह लड़का बोला, पिता जी यह लोक तंत्र हैं लोक तंत्र में मजबूत धक्का देता है कमजोर धक्का खाता है और इसी तरह गिरता पड़ता है। आप लोग जो बचपन से मूर्खता करते चले आये हैं वह मूर्खता अब आपकी संतान नहीं करेंगी। हम तो जैसी व्यवस्था होगी उसी के अनुसार चलेंगे।'' मैं वहीं

पर सोचता रहा कि क्या उचित है। तो मेरा दिल आज तक कहता है कि लड़के ने गलत किया । दुसरी ओर मेरा दिमाग कहता है कि लड़के ने अच्छा किया क्योंकि यदि वह लड़का धक्का देकर टिकट नहीं लाता तो सब धक्का देकर टिकट लेकर टन में सवार होकर चले जाते और मैं मूर्ख सरीख लाइन में खड़ा रहता। इससे लगा कि वह लड़का सही कह रहा है। मैं आज तक यह निर्णय नहीं कर पाया कि कौन सा निर्णय सही है। तब मैंनें अपने दो चार मित्रों से पूछा कि भाई यह बताइये कि कौन सा रास्ता सही हो सकता है। धक्का खाकर लाइन में खड़े रहें या धक्का देकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारे साथियों ने जवाब दिया कि ये दोनों रास्ते गलत हैं और बोले कि ना हम धक्का खाकर खड़े रहेंगे ना लाइन में खड़े को धक्का देंगे। हम तो जो हमें धक्का देगा उसे उठा कर पटक देंगे या दो चार तमाचा मारेंगे और आगे बढ़ जायेंगे जिससे वो दुबारा किसी को धक्का ना दे सकें। हमें भी यह रास्ता जचा, और मैं रामानुजगंज चला गया। कुछ दिनों के बाद वही हमारे साथी नक्सलाइट बन गये और झारखण्ड से रामानुजगंज आकरअपनी सरकार रामानुजगंज के आस पास में बना लिए क्योंकि गढ़वा, से रामानुजगंज की दूरी मात्र 50 कि. मी. ही है। रामानुजगंज झारखण्ड के बाडर और उ. प्र. बिहार के बाडर से लगा ; छ. ग.द्ध में स्थित है। फिर हुआ क्या कि रामानुजगंज की पुलिस ने उन नक्सल के प्रमुख व्यक्तियों को गोली मार दी, क्योंकि वो वहां सरकार बनाकर वहां के कुछ व्यक्तियों को मार दिये और पुलिस उनको मार दी। तब मेरे सामने तीन बाते सामने आ गयी कि ;1द्ध धक्का खाकर खड़े रहें, ;2द्ध धक्का देने वाले को धक्का देकर आगे बढ़ जायें और ;3द्ध धक्का देने वाले को उठाकर पटक दें और दो, चार झापड़ मारकर पुलिसके हाथों चार, छः पुलिस का डण्डा खायं और चार पॉच सौ रूपये उपर से पुलिस को देकर छूट के आवें। इन तीनों रास्ते में से कौन सा रास्ताउचित होगा मैं अभी तक निर्णय नहीं ले सका और अब आप ही बतायें कौन सा मार्ग उचित होगा। मैं अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। तब मैंनेसमझा और समझने का काफी प्रयास किया ता समझ में आया कि यह व्यवस्था ही गलत है और व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि ना कोई किसी को धक्का दे और ना धक्का खाने की जरूरत पड़े ना पुलिस का डण्डा खाने की जरूरत पड़े। जो लाइन तोड़ने का प्रयास करे उसे सजा दी जाये। यही है व्यवस्था परिवर्तन। तब मैं यह निष्कर्ष निकाला कि चरित्र निर्माण करने की सलाह देने वाल लोग ना समझ है। क्योंकि मैंने चरित्र निर्माण कर देख लिया और चरित्र निर्माण से कुछ हल नहीं हुआ तब मैं दावे स कह सकता हूँ कि वर्तमान समस्या का समाधान चरित्र निर्माण नहीं है। यह आप जानते होंगे कि शरीर में कोई रोग हो तो उसे दूर करने के लिए मट्ठा पिलाना चाहिए या घी खिलाना चाहिए। मट्ठा पिलाने से अलग मर्ज दूर होगा, घी खिलाने से अलग ताकत आयेगी। मट्ठा पिलाना अलग चीज है घी खिलाना अलग चीज है। देश काल परिस्थिति के अनुसार इलाज बदलता रहता है। आज क्या कारण है कि भारत प्राचीन कालों में विचारों का निर्यात करता था। और पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षो से भारत विचारों का आयात करने लग गया। पुरान जमाने के भारत के स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द और आज के जमाने में विवेकानन्द और दयानन्द नहीं बना पा रहे हैं। क्या कारण है कि गांधी के बाद हम गांधी नहीं बना पा रहे हैं और गांधी का एक टुकड़ा छोटा सा जय प्रकाश के बाद हम जय प्रकाश तक नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है ? क्या हमारे भारत की मातायें इतनी बॉझ हो गई है कि बड़े–बड़े वैज्ञानिक तो पैदा कर रही है उद्योगपति पैदा हो रहे हैं, पूँजीपति, बुद्धिजीवी तो पैदा हो रहे हैंलेकिन एक विचारक पैदा नहीं कर पा रही है। यह सोचने का विषय है कि क्या कारण ह कि हम भारत में चाणक्य के बाद ना चाणक्य, ना राम के बाद राम व ना कृष्ण के बाद कृष्ण, ना गांधी के बाद गांधी ना एक छोटा सा जयप्रकाश के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी बड़ी रेखा खीच दी जाती है कि इससे आगे कोई बढ़ ही नही सकता। जो भी प्रयास करता है तो उससे छोटी रेखा ही खीच पाता है,। कारण क्या है इसका तब इस प्रकिया पर शोध करना शुरू किया कि क्या कारण है कि कोई व्यक्ति गांधी जी के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कल्पना करिये ''गांधी जी चले आगरा से दिल्ली के लिए और गांधी जी को मथुरा में हत्या हो गयी तो हमारे गांधी भक्त जितने थे वही रूक गये और गांधी जी के मार्ग पर चल पड़े। गांधी जी के मार्ग क्या थे? आगरा से मथुरा और मथुरा से आगरा,'' गांधी वस्त्र खादी पहनावा, देशो बोलना शराब बन्दी आदि गांधी मार्ग पर चलने लगे विदेशी भाषा, विदेशी रहन सहन, खान पान सब छोड़कर देशी अपना लिए, संघर्ष का रास्ता छोडकर बाकी सब अपना लिए और हमारे गांधी भक्त केवल आज तक बस इतना ही करते रहे आगरा से मथुरा, मथुरा से आगरा तक चलते रहे और आगे नहीं बढ़ सके तब गांधी भक्तों से जब पूछा गया कि अरे भाई आप बताये यह क्या कर रहे हैं तो वो कहते हैं मैं गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ और मैं तो बस गांधी जी के पद चिन्हों पर ही चलूगां यानी आगरा से मथुरा और मथुरा से आगरा क्योंकि गांधी जी इससे आगे गये ही नहीं थे। अरे भाई यदि गांधी जी जीवित होते तो आगे दिल्ली की ओर जाते हमारे गांधी भक्त जो हैं वो गांधी जी के पद चिन्हों पर आज भी चल रहे हैं। यानी वही कसरत बांस में उपर चढ़ना और नीचे उतरना बस इतना ही जानते हैं और पूरी ईमानदारी से बांस पर चढ़–उतर रहे हैं। उससे आगे जाने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उससे आगे चलने को सोचता भी है तो हमारे गांधी भक्त उसे गांधी विरोधी मानने लगते हैं क्यांकि वह व्यक्ति गांधी के नियम का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि गांधी जी इससे आगे तक गये ही तो तुम कैसे जा सकते हो। क्या गांधी जी जीवित होते तो यही करते, मथुरा से आगरा, आगरा से मथुरा। गांधी जी कभी विदेशी भाषा, विदेशी वस्त्र, शराब बन्दी की लड़ाई नहीं लड़ी। वो तो सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है जिसके कारण आज गांधी बन पाये हैं। विदेशी वस्त्र शराब बंदी छुआछत निवारण आदि उनके संघर्ष के मुद्दे न होकर सहायक थें। यदि विदेशी वस्त्र और शराब बन्दी तक सीमित रहते तो गांधी नहीं बन पाते। तब मैंने यह सोचा और जहा तक गांधी जी गये थे मैं उससे आगे चलने का प्रयास शुरू किया, यानी मथुरा से दिल्ली की ओर चलने का प्रयास किया। जिसका कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज मैं जिस स्थान पर हूँ वह इसी सोच का परिणाम है। आप सब हमारे बैकग्राउंड को जानते है कि ना हमारे परिवार के लोग कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ना कोई उद्योगपति रहे, ना कोई वकील न कोई नेहरू खानदान से थे मेरे पिताजी एक सामान्य व्यापारी थे और मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ मैं तो सिर्फ किसानी करता था खेतों में हल जोतना खेतो में काम करना उसी में समय निकाल कर सामाजिक चिन्तन करना यही तो हमारी मुख्य पृष्ठभूमि रही है। जिसका परिणाम आज आप
के सामने दिख रहा है। मैंने हमेशा स्वतंत्र चिन्तन किया, मैंने अपने उपर किसी का चश्मा नहीं चढ़ने दिया। तब मैंने यह पाया कि समस्यायें कहां है
और किस तरह से फैलाई जाती है। निष्कर्ष से पता चला कि असत्य को सत्य बनाकर समाज में समस्यायें फैलाई जाती है। सम्पूर्ण भारत में
आज भो 50, 60 ऐसी असत्य परिभाषायें हैं जिसे सत्य बताई जा रही है। यह हम लोगों ने शोध में पाया जो असत्य परिभाषा है वही शिक्षा के रूप
में पढ़ाई जा रही है। आज हम लोगो ने ऐसी असत्य परिभाषाओं को चुनौती देने के लिए सत्य परिभाषायें बनाई है जिसे समाज में बताई जाने की जरूरत है। जो रामानुजगंज के जंगल में बनी है। जिनमें से मैं अभी कुछ 8, 10 परिभाषायें बताये देता हूँ, बाको आप प्रश्न करिएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है, बेरोजगारो की

परिभाषा, संविधान की परिभाषा, महंगाई, महिला उत्पीड़न है कि नहीं, भूत प्रेत कीपरिभाषा अपराध न्याय, आदि। इन सब की परिभाषा हम लागों ने रामानुजगंज के जंगल में बैठकर बनाई है जिसमें देश के बड़े–बड़े विद्वान वहां जंगल पर आकर बैठते थे। जिसमें हमारे देश के संविधान विशेषज्ञ श्री सुभाष कश्यप जी, वरिष्ठ श्री राम बहादुर राय जी, आई.ए एस. श्री कमल टावरी जी, कई न्यायाधीश तथा आई. पी. एस. ऐसे कई देश भर के विद्वान उस जंगल में इक्ट्ठा होकरबैठते थे। आप लोग भी खूब संविधान को बात करते हैं तो यह बता दे कि हमारे संविधान बनाने वालों को संविधान की परिभाषा ही नहीं मालूम है, मूल अधिकार की ही परिभाषा नहीं जानते, तो कहीं का अंड बंड लाकर इसमें डाल दिया गया है और सारी दुनियां में असत्य को सत्य बनाकर स्थापित कर दिया गया है। जैसे आप को हम बता दे कि जा हम लोगों ने अपराध की परिभाषा बनाई है वह इस प्रकार से बनी है कि अपराध किसे कहते हैं, गैर कानूनी क्या है, और अनैतिक किसे कहते हैं। इन तीनों में आप लोग अन्तर नहीं बता सकते हैं क्योंकि यह बताना आपको कठिन होगा। हम लोगों ने रामानुजगंज के जंगल में समाजशास्त्र पर बैठकर रिसर्च किया कि अपराध यह है, गैर कानूनी यह है, अनैतिक यह होता है, सारे संसार के लोग कहते हैं कि आपको शरीफ होना चाहिए लेकिन सच बात यह है कि शराफत ही धूर्तो का भोजन है, हम लोगों ने रामानुजगंज में बड़े–बड़े बोर्ड लगवाया कि शराफत छोड़िये समझदारी से काम लीजिए। कब व्यक्ति को शरीफ होना चाहिए और कब समझदार होना चाहिए, भाई आप ये सोचिए कि गलत इलाज होगा तो परिणाम गलत ही होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ शरीफ ये होता है समझदार ये होता है, धूर्त ये होता है। जब मैं लॉ कालज में जाता हूँ भाषण देने तो वहां मैं पूछता हूँ कि बताइये व्यक्ति और नागरिक में क्या अन्तर होता है। तब वो बता ही नहीं पाते जानते ही नहीं बेचारे, तब हम बताते हैं व्यक्ति और नागरिक दोनों अलग है दोनों के अधिकार अलग अलग होते हैं। दोनों की परिभाषायें भी अलग–अलग होती है लेकिन उनको आज तक पढ़ाया ही नहीं गया कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अन्तर होता है। कई ऐसी बाते हैं जैसे धर्म समाज और राष्ट में कौन बड़ा है तो पता ही नहीं है। अगर किसी से पूछा जाये कि समाज बड़ा है कि राष्ट तो आम तौर पर लोग कहते हैं राष्ट, लेकिन जब उनसे पूछा जाये कि अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति समाज का अंग है कि नहीं तथा पाकिस्तान में रहने वाला भारत का नागरिक समाज का अंग है कि नहीं तब लोग कहते हैं कि समाज बड़ा है। वास्तव में समाज बड़ा है। लेकिन यदि पूछ दिया जाये समाज बड़ा है कि धर्म तो समाज बड़ा है। लेकिन मुस्लिम लोगों से जब पूछा जाय तो वो धर्म को कहेंगे। क्योंकि वो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि वास्तव में समाज ही बड़ा है। दुनियां में चार प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थायें बनी है। सबसे पहली व्यवस्था है लोकतंत्र जो अमेरिका मे प्रचलित है दूसरी व्यवस्था है धर्मतंत्र जो मुस्लिम देशों में चल रही है। तीसरी व्यवस्था है राज्य तंत्र, जो सारे कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट देशो में है।

कम्युनिष्ट देशो मे राज्य सबसे उपर होता है बाकी सारे उससे नोचे होते है। भारत के पुराने जमाने म क्या था। भारत के पुराने जमाने मे समाज सबसे उपर था, धर्म, राज्य तथा व्यक्ति उसके नीचे होते थे। भारत मे हमारे संविधान बनाने वाले ने गडबड यह किया कि लोकतंत्र के नाम पर पश्चिम की परिभाषाए डाल दी। संविधान मे पश्चिमी देशो के आधार पर व्यक्ति पावर फूल हो गया। कम्युनिष्ट देशो से उन्होने समाजवाद को ले लिया तथा राज्य को सारा पावर दे दिया। इस्लामिक देशो से धर्म तंत्र को लेकर धर्म को भो सब पावर दे दिया। अब संविधान मे धर्म भी शामिल हो गया। राज्य भी शामिल कर लिया गया। व्यक्ति को भी पावर दे दिया गया। जात को भी शामिल कर लिया गया। भाषा को भी शामिल कर लिया। समाज को बाहर कर दिया गया। समाज की पहली इकाई परिवार है। दुसरी इकाई गांव है । पूरे संविधान मे न कही परिवार को डाला गया न ही गांव को। क्योकि समाज को कही भी इकठ्ठा नही होने देना है। क्योकि समाज का इकठ्ठा होना ही राज्य पर खतरा है । अगर समाज एकजुट हो जायगा तो राज्य क नेता बहुत परेशानी मे पड जायेगे। इसलिय हिन्दुस्तान मे जो राजनैतिक व्यवस्था है उसने समाज को किनारे करने की सारी कोशिशे की है और उसका आधार बनाया संविधान को। परिवार व्यवस्था और गांव व्यवस्था को संविधान से बाहर कर दिया। तब हमलोगो ने पाया कि यह सारी कोशिशे किसी न किसी षणयंत्र के अंतर्गत हुई है या हो रही है और ऐसे षणयंत्र का पर्दा फास करना ही हमारी पहली आवश्यकता है।

हमलोगा ने बहुत सी परिभाषाओ पर मौलिक चिंतन शुरू किया । एक दो नही लगभग 100 विषयो पर रामानुजगंज के जंगलो मे रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च मे देश भर के कई सौ विद्वान शामिल हुए । जिनमे सभी तरह की विचारधाराओ के लोग थे। वे 5 से 15 दिनो तक लगातार जंगल मे जाकर बैठते थे। वे सभी को बाते सुनते थें । अपनी बाते भी रखते थें । सभी लोग वहॉ आपस मे बैठकर संविधान पर बहस भी किया करते थे । ये सारी संविधान को चर्चाए वहॉ होती रहती थी। मै आपसे कह सकता हूँ कि अभी अन्ना हजारे जी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई लड रहे है। अगर अन्ना हजारे जी से पूछा जाय कि भ्रष्टाचार और बेइमानी मे क्या अंतर है तो मै आपसे कह सकता हूँ कि इन विषयो पर उनको भी नही मालुम है। भ्रष्टाचार अलग है और बेइमानी अलग हैं । यह सवाल आपक लिये भी बहुत कठिन हो जायगा कि भ्रष्टाचार और बेइमानी मे अंतर क्या है। आप भ्रष्टाचार और बेइमानी मे अंतर नही कर पायगे। जब तक मानसिक व्यायाम नही करेंगे तब तक इन गंभीर विषयो का अंतर नही समझ पायेगें। एक जज साहब से मेरा वास्ता पडा। वे अध्यक्षता कर रहे थे। मुझ भाषण देना था। मैने जज साहब से पूछा कि न्याय और फैसला मे क्या अंतर होता है। क्या न्यायालय को न्याय करने का अधिकार है? न्याय की परिभाषा है जस्टीस एकौडिग टू ला । आपको न्याय करने का कोई अधिकार नही है। आप तो कानुन के अनुसार ही फैसला कर सकते है। फिर आप अपने को न्यायाधीश कैसे कहते हो। कानुन क्या है। लॉ एकौडिग टू जस्टिस। न्यायपालिका क्या करती है। जस्टिस एकौडिग टू ला और विधायिका करती है ला एकौडिग टू जस्टिस। न्याय के अनुसार कानुन विधायिका बनाती है। और कानुन के अनुसार न्याय न्यायपालिका करती है। इन दोनो क अंतर को समझने और समझाने की जरूरत है। और नही समझते हो तो रामानुजगंज के जंगल मे बैठकर रिसर्च करो और समझो कि न्याय और फैसले मे क्या अंतर होता है। एसे अनक विषय है जिनको समझना होगा। मंहगाई? सारे लोग इस महगाई से दुखित है कि महंगाई बढ रही है। मै तो यह भी कहता हूँ कि भारत के 121 करोड लोग महगाई–मंहगाई चिल्लाते है। लेकिन रामानुजगंज के जंगल मे शोध करके यह पाया गया कि सन 1947 से आज तक मंहगाई लगातार घट रही है। सोना–चांदी, जमीन इन तीन चीजों को छोड करके सारी चीजे सस्ती हो गई है। केवल षणयंत्र के अंतर्गत महगाई का हल्ला किया जाता है। जबकि सच बात यह है कि आर्थिक विषमता बढ रहो है। गरीब आदमी चीटी की चाल से आगे बढ़ रहा है और अमीर व्यक्ति हवाई जहाज की चाल से बढ रहा है। गरीब और अमीर के बीच का अंतर बढता जा रहा है। यह अंतर आम लोगो को दिख न जाय इसलिये षणयंत्र पूर्वक पूंजीपति राजनेता, और बुद्धिजीवी ये तीनो मिलकर महगांई का एक झूठा प्रचार करत हैं और जनता के सामने महगांई बढने की बात करते है। आप शोध करियेगा तब पता चलेगा कि महगांई नही बढी है। कही कही भाषण मे महिलाएँ भी सवाल करती है कि महिलाओं पर अत्याचार होता है कि नही। सारा पुरूष वर्ग भी मानता है कि महिलाओ पर अत्याचार हो रहा है और सारी महिलाए मानती है । लेकिन हमलोगो ने रिसर्च किया है कि यह सब गलत है। वास्तव मे महिलाओं पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नही हो रहा है। एक

झुठ को सच बना दिया जा रहा है कि महिलाओ पर अत्याचार हो रहा है। आर्थिक विषमता बढने का कारण क्या है इस पर एक उदाहरण बताता हूँ। गरीब और अमीर का अंतर बढता रहे और समाज मे किसी को पता न चले इसके लिये सरकार क्या षणयंत्र करती है? जो चोज गरीब लोग ज्यादा उपयोग करते ह। उस वस्तु के उपर अप्रत्यक्ष टैक्स लगना चाहिये और प्रत्यक्ष छूट देनी चाहिये इसके विपरीत जो चीज बडे लोग ज्यादा उपयोग करते है उनपर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष छूट देनी चाहिये। सम्पूर्ण भारत मे साईकिल पर 400 रू0 टैक्स है, और रसोई गैस पर 150 रू0 की छूट। हमलोगो ने रिसर्च मे पाया कि गरीब आदमी अधिक साइकिल का उपयोग करता है कि रसोई गैस का? अगर रसोई गैस पर टैक्स बढा दिया जाता है तो वडे घर की औरते सडक पर आ करके हल्ला करने को उतारू हो जाती है कि हमारे घर का बजट बिगड गया । रसोई गैस का दाम बढ गया। गरीब आदमी मर गया। सारे लोग परेशान हो जायगें । साइकिल पर जितना भी टैक्स लगा दो अमीर लोग को कोई परेशानी नही होगी । नाम लेगें गरीब व्यक्ति का। कौन नही जानता कि भारत का किसान अगर 100 रू0 का अनाज ले जाकर बाजार मे बेचता है तो उसे 90 रू0 ही मिल पाता ह। 10 रू0 सरकारी खजाने मे टैक्स के रूप मे चला जाता है। वह किसान 90 रूपया को लेकर जब कपडा खरोदने जाता है किताब तथा अन्य वस्तुएँ खरोदने जाता है तब फिर 10 रूपया सरकारी खजाने मे चला जाता है। और उसका मिलता है 80 रूपये का सामान । वो 100 रूपये का अनाज पैदा करके लाया और बीस रूपये सरकारी खजाने मे चला गया। क्यो चला गया? क्योकि शिक्षा देनी है। ऐसी शिक्षा देनी बेकार है। अगर शिक्षा देने के लिये गरीब के हल के उपर टैक्स लगाना पडे या श्रम के उपर टैक्स लग तो हमको ऐसी शिक्षा नही चाहिये। आप यह बतलाईये कि हमारे समाज मे कितना अत्याचार हो रहा है। हमारे यहॉ सरगुजा जिले मे अगर जंगल मे जिन्दा आदमी को हाथी उठा ले जाय कष्ट दे और मार दे तो उसे दो लाख रूपया मुआवजा मिलेगा। सरगुजा मे हाथी ने जिसे मारा वो सरकारी हाथी है। हाथी को आप नही मार सकते वो हाथी आपको मार सकता है। अगर आप उस हाथी को मार दोगे तो आप जेल मे चले जाओगे। हाथी अगर आपको मार देगा तो हाथी जेल मे नही जाएगा। उसके जगह आपको मुआवजा मिलेगा। दूसरी तरफ भोपाल मे गैस दुर्घटना हो जाय तो दस दस लाख रूपया मिलेगा और उसके बाद भी मुआवजा का केश चलता ही रहेगा। जैसे वहा के आदमी बहुत बडे विद्वान या ज्ञाता रहे हो । सरगुजा के लोग तो सब जानवर सरोखे है। यह सब अन्याय इसलिये है क्योकि भोपाल दुर्घटना प्रभावितो के पीछे पेशेवर मिडिया कर्मी या पेशेवर संगठनों का हाथ हो जाता है। सरगुजा के जानवर सरीखे ग्रामीण के पीछे बिना कमीशन की उम्मीद के मानवता का नाटक कौन करे? यहॉ नक्सलवादी किसी को मार दे तो दो लाख रूपया मिलेगा। आपलोग सुने होगे । वाडफ नगर के जंगल मे रिबई पंडो भूख से मर गया। रिबई पंडो भूख से मर गया तो मध्य प्रदेश सरकार के सारे मत्री, सारे विभाग मुख्य मंत्री तक सब रिबई पंडो के दरवाजे पर आ करके बैठ गये और कहने लगे कि हमारा रिबई पंडो भूख से कैसे मर गया। भारत के प्रधान मंत्री दिल्ली से हवाई जहाज से रिबई पंडा के दरवाजे पर आ गये किन्तु उस के दो दिन के बाद बलरामपुर के सोनी परिवार मे डाकुओ ने दो लोगो की हत्या कर दी । सारा माल लूट करके ले गये । कलेक्टर भी वहॉ देखने नही आया । डाकू या नक्सलवादी मार दे तो कोई बात नही है। भूख से हिन्दुस्तान का आदमी मर जाये तो यहा से दिल्ली तक की सारी सरकार यहॉ आकर बैठ जायगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसन सुप्रीम कोर्ट मे स्ट्रक्चर पास किया। संपूण भारत मे यदि कोई व्यक्ति यदि भूख से मर जाय तो वहॉ का मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माना जायगा। यह सुप्रीम कोट ने क्यो नही लिखा कि अगर नक्सलवादी किसी को मार देगा तो मुख्य सचिव जिम्मेवार होगा। सुरक्षा और न्याय तो सरकार के जिम्मे मे है जिसका एक हिस्सा न्यायालय भी है। सुरक्षा और न्याय जनता को नही देना है। कैसा कैसा कानुन है यहां । कैसे कैसे कानुन बनाते है। समाज को सुरक्षा और न्याय कभी नहो मिलना चाहिये। ये राजनेताओ को ढाया जाा है । मैने भी पढा है कि समाज को सुरक्षा और न्याय नहो देना है। बाको सब जो चाहे दे दो कोई बात नही है। सुरक्षा और न्याय के विरूद्ध नियम पास होते है। ये सब मैने पढा है। और तब से यह सब बताने की स्थिति मे हूँ । मैने भूत और प्रेत पर भी शोध किया है। और भुत प्रेत की परिभाषाए भी बनाई है। छः छः महिना श्मशान मे सोया हूँ । तब हमलोगो ने जांच करके निकाला है कि भूत प्रेत क्या होता है। मै आपसे पूछूं कि ज्ञान और शिक्षा मे क्या अंतर होता है। आप नही बता पाएगें। सारे हिन्दुस्तान मे शिक्षा बढ रही है और ज्ञान घट रहा है। आज से साठ वर्ष पहले खाने को दिक्कत थी कपडे को दिक्कत थी । सडक नही थी। बिजली नही थी। कंप्युटर नही था। कोई साधन नही था तथा जब हम भुखे थे तो हमारे पास ज्ञान ज्यादा था। शिक्षा नही थी । आज क्या कारण है को हमारे पास सारे साधन सम्पन्न होने के बाद भी ज्ञान घट रहा है। क्यो घट रहा हे। ज्ञान और शिक्षा को परिभाषा मे क्या अंतर है। ये सब आप शोध करियेगा या मुझसे प्रश्न करियेगा तो आपको सारी बाते समझ मे आ जायगी।

मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैने पहला रिसर्च यह किया कि चरित्र निर्माण वर्तमान मे समाज की किसी समस्या का समाधान नही है।चरित्र निर्माण के प्रयत्न और प्रचार वर्तमान समय मे या तो घातक है या निरर्थक है। मैने दूसरा यह रिर्सच किया कि संपूर्ण दुनियां मे असत्य सत्य बन करके प्रचारित हो गया है। असत्य को चुनौती देने की जरूरत है। इन दोनो के लिये तरीके खोजने की जरूरत है। इसके पहले गांधी, नेहरू, पटेल सारे नेता घूम घूम करके गलियो मे कहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत मे लोकतंत्र होगा जिसका अर्थ होगा लोक नियंत्रित तंत्र । जब गांधी जी की हत्या हो गई तो सारे नेता मिल करके बठे और सारे नेता, एक जय प्रकाश को छोडकर सब नेता ,एक जुट हो गये और सबने एक जुट होकर तय कर लिया कि इस स्थिति का फायदा उठाना है। उसका एक ही उपाय है कि लोक तंत्र की परिभाषा बदल दो। लोक तंत्र की वास्तविक परिभाषा होती है लोक नियंत्रित तंत्र। लाक नियंत्रित तंत्र का अर्थ लोक होता मालिक और तंत्र होता मैनेजर। और इन लोगे ने जब परिभाषा बदल दी तो लोक हो गया संरक्षित (नाबालिग) और तंत्र हो गया संरक्षक । हमारे संविधान बनाने वाले चाहे धूर्तता से या मुर्खता से एक घपला और कर दिये कि संरक्षक ही घोषित करेगा कि संरक्षित कब बालिग होगा। आप विचार करिये संरक्षक उसको कभी बालिग होने देगा क्या? चाहे वह बालक बुढ्ढा होकर मर जाय। क्योकि जिस दिन यह बालिग हो जायगा उस दिन उस संरक्षक की नौकरो चली जायगी। पॉच सौ वर्ष भारत मे बीत जायगा लेकिन तंत्र कस्टोडियन बना रहेंगा। भारत की जनता को बालिग घोंषित होने ही नही देगे। इसलिये सारी समस्याओ की शुरूआत उस दिन हुई जिस दिन षणयंत्र पूर्वक सारे नेताओ ने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी।

ये मैने आपको अस्पष्ट रूप मे कह सकता हूँ । जिस दिन वो लोग हो गये संरक्षक हम हो गये संरक्षित उसी दिन से वे बनने लगे मालिक और हम होने लगे गुलाम । बडी बेशर्मी से तंत्र ने अपने को गवमेंट लिखना शुरू कर दिया । इन लोगो ने अपने को कह दिया गवमेंट। हमलोगो ने इनको गवमेंट मान लिया। प्रतिनिधि कभी भी गवमेंट नही होता है। प्रतिनिधि कभी भी मालिक नही होता है। प्रतिनिधि तो मालिक के नोचे होता है। अमेरिका मे जो भारत का प्रतिनिधि होता है। वो मालिक हो जायगा क्या। चाहे वो जितना पावर फ़ल हो जाय लेकिन वे हमारा प्रतिनिधि होता है। वहॉ जानबुझ करके इन लोगों ने षणयंत्र पूर्वक परिभाषा बदल दी । ये कहते है कि भारत मे लोक तंत्र है। कैसा लोकतंत्र है भारत मे। हमारा मैनेजर अपनी तनख्वाह जितना बढाना चाहे बढा ले। देगा कौन? बढा लेगा तंत्र और पूरा करेगा लोक। अरे भाई तुम अपनी तनख्वाह कितने गुणा बढा सकत हो? कहते ह हम चाहे

जितना बढा ले। आपने हमको वोट दे दिया । वोट देने का क्या अर्थ है। किसी व्यक्ति को जज साहब ने आदेश दिया कि तुमको फांसी का आदेश दिया जाता है। अब उसको जज ने यह भी कहा कि देखो भारत मे लोकतंत्र है। इसलिये तुमको लोक तांत्रिक तरोके से फांसी पर चढना होगा अर्थात आठ जल्लाद खडे है आठो जल्लादो मे से किसी एक को चुन ले कि किस जल्लाद से फांसो पर चढना हैं । अब जब फांसी होने लग गई और वह दर्द से चिल्लाने लगा तब जज ने कहा कि अरे मुर्ख चिल्लाता क्यो है। तुने ही तो उस जल्लाद को चुना था मैने तो कहा नही था । चुन लेता दूसरे को । हमलोगो को चारो तरफ से 25 तरह के कानुनो से चारो तरफ से जकड करके छोड दिया गया है कि तुम दौडो, तेजो से दौडते रहो। अरे क्या दौडे जब हमारा हाथ पैर बंधा हुआ है। इतने कानुनो के बाद कहा जाता कि चुन लो जिसको चुनना चाहते हो। ये है भारत का लोकतंत्र। आप अगर एक टयुब लाइट तोड दे तो टयुब लाइट का पैसा भरेगें और आप फाइन भी भरेंगे। और हमारे सांसद संसद मे सारा माइक तोड दे तो भरेगा कौन । हम तोडेगे तो हम भरेगें । और वो तोडेगे तब भी हम भरेंगे। ये है भारत का लोकतंत्र। भारत मे लोक के क्या अधिकार है यह तंत्र तय करेंगा और तंत्र के क्या अधिकार होगे यह वही तय करेगा । हमारे अधिकार भी वही तय करेंगा और अपना अधिकार भी स्वय ही तय करेगा । ये है लोकतंत्र। अगर यही लोक तंत्र है तो हम ऐसा लोकतंत्र नही चाहिये । हमे लोकतंत्र ऐसा चाहिये जहॉ लोक हो मालिक तंत्र हो मैनेजर । और आप ऐसा लोकतंत्र दे नही सकते। हमे इसे संशोधित करके नयी प्रणाली लानी होगी। इसके अलावा कोई उपाय हमारे पास नही है।

हमारे मैनेजर की नियत खराब हो जाय तो ऐसे मैनेजर का अपने यहा रखने पर खतरे से खाली नही है। हम उसे बदल देंगे लेकिन यदि बनने वाला हर मैनेजर उसी राह पर चलने लगे तो हमे मैनेजर के अधिकारो की समीक्षा करनी पडेगी। सिर्फ व्यक्ति बदलने से काम नही चलेगा। यह भारत मे क्या बात उठ रही है। हमारे देश के तंत्र से जुडे सार लोग एक स्वर से आवाज उठाते है कि भारत को मजबूत संसद चाहिये। प्रधानमंत्री भी मजबूत चाहिये। न्यायपालिका भी मजबूत चाहिये। प्रश्न उठता है कि ये तोनो किससे मजबूत होना चाहत है? उत्तर हैं लोक से। आप लोग खूब सोचते है कि न्याय पालिका मजबूत होनी चाहिये। आपको एक उदाहरण बताता हूॅ कि केशवानंदभारती प्रकरण मे न्यायालय के सामने यह मसला आया कि संसद को संविधान के मूल ढाचे मे परिवर्तन का अधिकार है कि नही । छः जजो ने संसद के पक्ष मे निर्णय दिया। तथा सात ने विरोध मे । प्रश्न उठता है कि यदि एक जज इधर से उधर हो जाता तो भारत मे लोक तंत्र की क्या परिभाषा होती। क्या यह संभव है की एक सौ इक्कीस करोड लोगो के भारत की लोकतांत्रिक अधिकारो की सीमाएं किसी एक जज के इधर से उधर होने से बदल जाय। यदि यही लोकतंत्र है तो हमे नही चाहिये ऐसा लोकतंत्र। दो तीन वर्षो के बाद ही इंदिरा जी ने कुछ जज बदलने के बाद फिर से केशवानंदभारती केश को खुलवाकर परिभाषा बदलने का प्रयास किया। एक जज ने सरकारी वकील से प्रश्न किया कि आप क्या किसी भी व्यक्ति को आपातकाल मे बिना कारण के गोली मार सकते है, तो वकोल ने कहा कि हां मार सकते है। जज ने कहॉ कि आप कितने लोगो को बिना कारण के गोली मार सकते है तो वकोल ने कहा कि हम कितने भी लोगा को बिना कारण गोली मार सकते है। और जब जजो मे इस बात पर काना फूसी शुरू हो गई कि ये कैसा उत्तर है । कितने भी लोगो को बिना कारण गोली मार सकते है तब चीफ जस्टीस्ट न बैठक समाप्त कर दी। यदि भारत मे भी जर्मनी की तरह कोई हिटलर संवैधानिक तानाशाह बनने की इच्छा रखे और भारत का लोकतंत्र ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से न रोक सके तो हमे ऐसे लोकतंत्र पर फिर से विचार करना ही होगा।

भारत की सारी समस्याआ का समाधान लोक स्वराज्य है। चार नवम्बर उन्नीस सौ निन्यानवे तक हम लोक स्वराज्य संविधान बना चुके थे तथा हमने सन दो हजार मे नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतकर रामानुजगंज शहर मे लोक स्वराज्य प्रणाली की व्यवस्था चलाई जो पूरी तरह सफल रही । हमने विचार किया कि सारे हिन्दुस्तान को संदेश दिया जाय। मै दिल्ली चला गया। चार से पाच वर्षो तक मै दिल्ली मे रहा । सच बात यह है कि दिल्ली मे मेरी पोपुलर्टी तो बहुत बढो। मेरा नाम बहुत बढा । अरविन्द केजरीवाल मनिष शिषौदिया आदि मिलकर हम टीम के रूप मे कार्य करते थे । हम सब एक साथ बैठ करके निर्णय करते थे। बहुत बड बडे लोगों से संपर्क हुआ। लेकिन एक गडबड होने लगी कि मेरा चिंतन बंद हो गया । रामानुजगंज के पहाण के नीचे बैठकर के मै इतने गंभीर विषयो पर निष्कर्ष निकाल लेता था दिल्ली जाने के बाद चार पांच वर्षो मैं एक भी निष्कर्ष नही निकाल सका। पुराना भूलने लग गया। तब मैने अपने साथियो से कहा कि अरे भाई ये तो घाटा है । जड अगर सूख जायगा तो पेड कितना भी बडा रहेगा एक न एक दिन तो गिर ही जायगा । जड को मजबूत होना चाहिये। मेरी अपनी साचने की ताकत घट रही है और प्रचार मेरा खूब हो रहा हैं। चाहे हमारे साथियो ने जो भी कहा लेकिन मै यहा नही रूक सकता हूॅ । आर मैने वानप्रस्थ ले करके फिर से रामानुजगंज के जंगल लौट जाना उचित समझा । जब से मै रामानुजगंज लौटा हूॅ तब से मेरा चिंतन उसी तरह का हो गया। नई नई बात मेरे दिमाग मे आने लगी । अब 2009 मे मनीष शिषौदिया अरविन्द केजरीवाल वगैरह सब मिलकर के फिर से ये लोग रामानुजगंज मे आये। और रामानुजगंज के जंगल मे बैठकर सारी योजना बनीयहॉ से फिर इस पर आगे चर्चा हुई । और आगे जा करके जो कुछ भी हुआ वो आप सबको मालुम है । मैने यहा भी उनको कहा था कि आप राइट टू रिकाल ग्राम सभा सशक्तिकरण संविधान की मुक्ति जैसी तीन बातो पर काम करियेगा तो सफल हो जाइयेग। उनका मानना था कि हम अगर कोई पोपुलर मुद्दा लेते तो जनता आगे चल देगी । मेरा मानना था कि ये गलत होगा। लेकिन आपलोग करियो पोछे से मै आपकी मदद करने को तैयार रहुगां। आखिर वही हुआ कि इन लोगा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया । सारी जनता आज भी साथ है। हम लाग भी उनका साथ दे रहे है। लेकिन वो भी महसूस कर रहे थे कि हम फस गये। क्योकि जब यह राइट टू रिकाल की बात करते है तो नेता कहते है कि उधर मत जाओ बस लोक पाल तक सीमित रहो। इसके आगे नही जाना है। 22 अगस्त 2011 को आज से सिर्फ चार महिने पहले फिर हमलोग जंगल मे बैठें । फिर हमलोगो ने सोचना शुरू किया । अब क्या होगा ? कोई न कोइ हल निकालना चाहिये । तो फिर हमलोगो ने 22 तारोख को समझ करके नतोजा निकाला कि लोक संसद बननी चाहिये । जब तक राजनेताओ के पावर नही घटेगें तब तक ये नही मानेगें क्योकि समस्या को जड है पावर। वर्तमान जो संविधान है, यह हमारे राजनेताओ क दाहिने हाथ मे ढाल बना हुआ है और बाई मुठ्ठी मे कैद है । आप अगर कहेगे कि ए भाई तुमलोग गडबड करते हो तो वे कहते है कि चुप। हम संविधान के अंतर्गत काम कर रहे है। और संविधान तो पवित्र धर्म ग्रन्थ है। और ये संविधान जो है वो क्या है। इनके बाई मुठठी मे कैद है। कैसे जब संविधान कही बोच मे फसेगा तो ये संविधान मे संशोधन कर देंगे। वाह रे भारत का संविधान जो इन नेताओ को ढाल बना हुआ है और कैद मे भी है। इस संविधान को इनकी कैद से मुक्त कराना पडेगा। ढाल भी नही बनने देना पडेग। इसके लिये क्या करना पडेगा । एक लोक संसद की आवाज उठानी पडेगी । लोक संसद कैसे चुनी जायगी । जैसे वर्तमान संसद बनती है। . संविधान को संशोधन करके लोक संसद का प्रावधान करना चाहिये। पांच काम लोक संसद के जिम्मे मे होगा। 1 संविधान सशोधन लोक संसद तय करेगी। 2. राइट ट् रिकाल का कानून लोक संसद बनाएगी। 3. वर्तमान संसद अपना वेतन भत्ता अगर बढाने लगेगी तो लोक संसद से स्वीकृति लेनी जरूरी है। 4. लोक पाल को नियुक्ति लोक संसद करेगी । अभी लोक पाल की नियुक्ति कौन करेगा। नेता करेगा । नेता की जांच कौन करेगा

लोकपाल । हमलोगो न कहा कि ऐसा नही होगा। 5.यदि न्यायपालिका विधायिका के बीच किसी भी प्रकार के टकराव पैदा होता है तो उसका निर्णय लोक संसद करेगी। इस तरह संसद और लोकसंसद के बीच अधिकारो का विभाजन हो जाने से समस्याएं कम होनी शुरू हो जायगी।

लेकिन हम अभी अन्ना हजारे का आंदोलन का पूर्ण समर्थन कर रहे है। पूरा पूरा सहयोग कर रहे है। अगर यह आंदोलन किसी भी कारण से असफल होता है तो हमलोग हार मानने वाले नही है क्योकि जब तक यह लोकतंत्र की परिभाषा नही बदल जायगी, लोक नियंत्रित तंत्र नही होगा, तब तक हम चैन से नही बैठेगे।

अब अंतिम बात आपको बताए कि मार्ग क्या है । चार मार्ग है इस दुनिया मे – 1. एक मार्ग है जय प्रकाश नारायण का जिसमें ऐसे अच्छे लोग को चुनकर नियुक्त किया जाय जो संविधान सशोधन कर दे । अटल जी और मुरार जी देसाई जब तक पावर मे नही थे तो कहते थे कि राइट टू रिकाल होना चाहिये । और जब कुर्सी पर बैठ गये तो अब उन्हे दिख गया कि राईट टू रिकाल अव्यावहारिक है। नेता जब कुर्सी पर बैठते है तो बहुत नई नई बाते दिखने लग जाती है। दूसरा मार्ग है अन्ना सरीखे किसी आंदोलन का । यह सफल होगा कि नही अभी नही कहा जा सकता कि यदि सफल हो भी गया तो वह परिवर्तन के लिये पर्याप्त नही है। हमारे भारत का भाग्य अन्ना जी के आंदोलन पर निर्भय नही करता है । तीसरा मार्ग क्या है? तीसरा मार्ग यह है जो अभी इथियोपिया तथा मिश्र मे हुआ । करोडो आदमी सडक पर एकाएक निकल पडे । सारा संविधान उलट पलट कर रख दिये। कहने लगे ऐसा संविधान हमको नही चाहिय और जनता ने वहा जन क्रान्ति कर दो । चौथा मार्ग हुआ लीबिया मे। हम मरेगें मारेंगें जरूरत पडेगी तो अमेरीका को भी बुलाएगे। लेकिन हम इस संविधसान को चलने नही देंगे। अब ये चार रास्ते मे से कौन सा मार्ग ठीक है ये मै नही बता सकता हूॅ । मै तो यह बताने आया हूॅ कि हमे कुछ न कुछ करना ही होगा। जैसे आप समझिये कि मैने अपने दरवाजे पर एक पहरेदार नियुक्त किया । लो मेरी बंदुक रखो मेरी सुरक्षा करो । पहरेदार की नियत खराब हो गयी । वह सोच रहा ह कि मालिक को पहले मार दू तो सारा झगडा समाप्त हो जायगा। कब्जा हमारा जो जायगा । अब वह बंदुक उसस वापस कैसे ली जाय। पैसे देकर ली जाय कि धोखा देकर लो जाय या छीन लिया जाय या पोछ से लूट लिया जाय। क्या किया जाय मुझे नही मालुम। मुझे एक बात केवल मालूम है कि जब तक बंदुक उसके हाथ म रहेगी तब तक आपको रात भर नींद नही आयेगी। अगर आराम से सोना है तो बंदुक उसके हाथ से लिये जाय। बंदूक कैसे लिया जाय वो आप जानिये। ऐसे खर्राटे लिया जाय कि वो भी समझे कि मालिक सो गया है। लेकिन आप जगे रहिये। ड्रामा करिये। जैसे करना हो करिये लेकिन बंदुक वापस लीजिये। लोक तंत्र की परिभाषा लोक नियुक्त तंत्र से लोक नियंत्रित तंत्र जबतक नही होंगी तब तक इस गुलामी से मुक्त नही होगे। हमलोगो ने तीन दिशाओ मे काम करना शुरू किया है। ये तीन काम आपको बताने आया हूॅ। जिसमे आप क्या कर सकते है । मै आज आपके सामने बैठा हुआ हूॅ । किस आधार पर बैठा हुॅ? सारी दनिया को चुनौती दे सकता हूॅ क्योंकि मैने शिक्षा से ज्यादा अपना ज्ञान बढाया है। अगर शिक्षित होता तो मै और ज्ञान बढाता । यह बात भो सही है। लेकिन मैं खूब शिक्षित होता ओर ज्ञान नही बढाता तो मै गोबर गणेश हो जाता । मै सारे हिन्दुस्तान को लूट लेता लेकिन मै आपके सामने नही बैठ पाता। मैने अपना ज्ञान बढाया है। आप भी अपना ज्ञान बढाइये। मैने जीवन भर 55 वर्षो से मानसिक व्यायाम किया है। आप केवल शारिरिक व्यायाम करते हे। मानसिक व्यायाम आप कभी नही करते है। मानसिक व्यायाम करने की आदत डालें। आप लोक सभा की जगह ग्राम सभा को मजबूत करिये। यह संवैधानिक प्रक्रिया हैं। कानून के द्वारा है। हमारे नेता लोग यह नही चाहते कि ग्राम सभा मजबूत हो। कहते जरूर है । हम 130 गांव मे रामानुजगंज के आस पास के पूरे ब्लाक मे ग्राम सभा श्सशक्तिकरण अभियान करके नक्सलवाद का भी समाधान कर चुके है। और अब हमलोग 130 गांव मे नया प्रयोग कर रहे हैं। हमारे 130 गांव मे सितम्बर के बाद पंच सरपंच कोई भी भ्रष्टाचार नही कर पायेगा । अगर गांव मे कोई भी पंच सरपंच एक रूपया भी भ्रष्टाचार कर पाया तो हम लोग समझेगे कि हमलोग सफल नही हो पाये है। हम उससे हाथ जोडकर नही कह रहे है । हम तो कहते है कि तुम भ्रष्टाचार करके दिखाओ हम तुमको जेल भिजवा करके दिखाते है। तुम छूट्टा नही रह सकते । हम यह ऐलान करेंगे अगले चुनाव मे पंच सरपंच एक भी पैसे खर्च नही करेंगे। तब हम सफल मानेगे कि पंच और सरपंच को हाथ जोडकर कहे कि आप सरपंच का चुनाव लड जाइये । वे कहेंगे कि मै नही लडूगा। हम मानेगें कि 130 गांवो मे हम सफल हो गये। आपसे हम यह चाहते है कि आप सितम्बर मे दो चार पांच लोग घूमने के लिये रामानुजगंज आइये। और ग्राम सभा सशक्तिकरण के प्रयोग को देखिये। हम आपको घूमने के लिये गाडो को व्यवस्था करवायेंगे। आप स्वतंत्रता पूर्वक देखिये कि ग्राम सभा के क्या परिणाम हुए है। कैसे भ्रष्टाचार रूक रहा है। कैसे हिन्दू और मुसलमान के झगडे खत्म हो रहे ह। कैसे गरीब और अमीर का अंतर घट रहा है। कैसे तंत्र मैनेजर हो रहा है और लोक मालिक। । यह आकर के देखिये । सलाह करिये। आगे मिल बैठकर हम सलाह करेंगे। तीसरा काम आपको यह करना है कि रात दिन सोते जागते एक चिन्ता करिये कि हमने अपनी बंदूक जिस सिपाही को दी है वह बंदूक उससे वापस कैसे ली जाय । लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र होनी चाहिये । लोक नियंत्रित तंत्र के लिये चाहे अन्ना हजारे जी या रामदेव जी आंदोलन करे चाहे आप आंदोलन करे परिणाम होना चाहिये कि लोक हो मजबूत और तंत्र हो कमजोर । तंत्र की बुराई दूर हो यह आंदोलन मत करिये। यह बिल्कुल गलत है कि हम तंत्र की बुराई दूर हो कमजोरी दूर हो इसके प्रयास करे । अब तो वर्तमान समय मे लोक और तंत्र के बीच एक सीधा टकराव है। लोकतंत्र की परिभाषा बदले। जब तक लोक मालिक और तंत्र मैनेजर नही जो जायगा जब तक ऐसा कोई संविधान मे संसोधन नही हो जायगा तब तक हम चैन से नही बैठ पायेंगे। हमलोग अपना मानसिक व्यायाम करके अपना ज्ञान को बढायेगे। एक तो ग्राम सभा को समझिये । दुसरा यह कि लोक तंत्र को लोक नियंत्रित तंत्र म बदलने की अपने अंदर आत्म शक्ति जागृत करिये। यही संदेश देने आज मै आपके बीच आया हूॅ । आपने ध्यान से सुना और समझा । इसके लिये धन्यवाद।